निगरानी / टीए/384/ 2006/उदयपुर
उदा जरिये का0मु0 गोविंदराम वगैरह बनाम मोती जरिये का0मु0 अमरा वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
27—5—26	**एकल—पीठ** **श्री मदन लाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री सम्पतलाल बोहरा, अभिभाषक प्रार्थीगण अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—230 के अंतर्गत न्यायालय उपजिला कलेक्टर मावली द्वारा प्रकरण संख्या 589/98 में पारित आदेश दिनांक 6—1—06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के दौरान प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 14 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 2,3,4,5,6 द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 8,9 के पक्ष में निष्पादित दो विक्रय पत्र दिनांक 29—11—97 को तलब कर रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। न्यायालय उपजिला कलेक्टर मावली ने आलोच्य आदेश दिनांक 6—1—06 से प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि जाब्ता दीवानी के आदेश 11 नियम 12 व 14 के तहत कोई भी पक्षकार न्यायालय में प्रश्नगत किसी बात से संबंधित ऐसे दस्तावेज तलब करवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जो उस प्रश्नगत बात के निस्तारण के लिए आवश्यक हो। कथित दस्तावेज संवत् 2021 भादवा विद पांचम का विक्रय विलेख विपक्षी संख्या 7,8 व 9 के पावर एण्ड पजेशन में है तथा यह दावे का मुख्य आधार होने से असल दस्तावेज पेश कराया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया कि दस्तावेजी की सूची कभी न्यायालय में पेश नहीं की गई। दावा वर्ष 98 से चल रहा है। वादी ने प्रतिवादी से 25 वर्ष तक दस्तावेज प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। उनका यह भी तर्क है कि प्रतिवादी अप्रार्थीगण के पास उक्त दस्तावेज है चूंकि ये समस्त अभिवचन जवाबदावे में दर्ज किये गये है और इनके संबंध के समस्त दस्तावेज प्रतिवादीगण के कब्जे एवं शक्ति तथा नियंत्रण में है इसलिए उक्त दस्तावेजों को तलब करवाने हेतु प्रार्थीगण ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है ताकि न्यायालय के समक्ष स्थिति स्पष्ट हो सके। प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा जो दस्तावेज तलब करवाने चाहे जा रहे है उनका विवरण जवाबदावे में होने से वे दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रकट होना और अप्रार्थीगण से प्रस्तुत करवाया जाना अत्यन्त न्यायोचित है किन्तु विचारण न्यायालय ने संक्षिप्त एवं सरसरी तरीके से प्रार्थीगण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	का आवेदन निरस्त कर गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे जा रहे दस्तावेज प्रतिवादीगण/असल अप्रार्थीगण के कब्जे एवं शक्ति के अधीन है तथा उक्त दस्तावेजों का प्रकटीकरण अत्यन्त आवश्यक है और ये सभी दस्तावेज मूल वाद के निपटारे के लिए अत्यन्त सुसंगत है तथा ये न्यायालय के लिए उपयोग में आने वाले दस्तावेज है किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों / बातों को दरकिनार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारिज कर दिया। अतः निगनरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने एआईआर 1994 राज0 पेज 114, एआईआर 1989 उडीसा पेज 9, एआईआर 1988 राज0 पेज 177, एआईआर 1972 (सीएल) पेज 308 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन व अध्ययन किया। 4. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। 5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। 6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद के दौरान प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 14 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 2,3,4,5,6 द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 8,9 के पक्ष में निष्पादित दो विक्रय पत्र दिनांक 29–11–97 को तलब कर रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया जिसे न्यायालय उपजिला कलेक्टर मावली ने आलोच्य आदेश दिनांक 6–1–06 से खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने का मुख्य आधार यह लिया है कि वादी ने आधार दस्तावेजों की सूची कभी न्यायालय में पेश नहीं की। दावा वर्ष 1998 से विचाराधीन है तथा वादी ने कभी प्रतिवादी से दस्तावेज तलब कराने का कोई प्रयास नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि संवत् 2021 में निष्पादित विक्रय विलेख प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पूर्वधिकारी दल्ला जो कि वादी के पिता का फूफा है उसके द्वारा वादी के पिता के नाम निष्पादित किया जाना तथा निष्पादन के 6 वर्ष बाद दल्ला की मृत्यु हो जाना तथा उक्त विक्रय पत्र प्रतिवादी मोती के द्वारा वादी के पूर्वाधिकारी से वादग्रस्त भूमि खाते कराने के नाम से ले जाना प्रार्थीगण द्वारा अवगत कराया गया। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये दस्तावेज प्रतिवादी संख्या 2,3,4,5,6 द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 8,9 के पक्ष में निष्पादित दो विक्रय पत्र दिनांक 29–11–97 है जो वाद के न्याय निर्णयन में सहायक होने से उक्त दस्तावेज की आत्यंतिक आवश्यकता प्रकट की गई है। इस एकल पीठ के विनम्र मत में यदि वादी प्रार्थीगण को अपना वाद सिद्ध करने में उसके द्वारा तलब करावये गये दस्तावेज से उसका वाद सिद्ध होने की संभावना हो तथा तलब करवाये गये दस्तावेज लोक दस्तावेज	

हो तो न्यायालय अपने स्तर से उक्त दस्तावेज तलब करवा सकता है। ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी मावली द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–1–06 को उचित नहीं कहा जा सकता। अतः हस्तगत् निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखंड अधिकारी मावली का आलोच्य आदेश दिनांक 6–1–06 निरस्त किये जाने योग्य है।

7. परिणामतः हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखंड अधिकारी मावली का आलोच्य आदेश दिनांक 6–1–06 निरस्त किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9 कथित दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे जो रिकार्ड पर लिये जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख शीघ्र लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार नबंर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदन लाल नेहरा)
सदस्य